राजस्थान सरकार
पंचम राज्य वित्त आयोग
प्रथम तल, बी–ब्लाक, वित्त भवन, जन पथ, जयपुर– 302005
फोन नं॰– 0141–2742881, 2742833, फैक्स नं॰– 2742875
Website: www.sfc.rajasthan.gov.in E-mail Address: sfc-5@rajasthan.gov.in

जयपुर दिनांकः14.07.2016

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा डॉ. ज्योति किरण की अध्यक्षता में पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का गठन 30 मई, 2015 को किया गया है। आयोग को सौंपे गये कार्यों (ToR) में अन्य विषयों के साथ–साथ आयोग को पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का चिन्हिकरण कर इन सेवाओं के मानकों का निर्धारण एवं मानकों के आधार पर दी जाने वाली सेवाओं के लिये प्रामाणिक निधियों की आवश्यकता का आकलन का दायित्व दिया गया है। इन प्रमाप सेवाओं को प्रदान करने के लिये आयोग स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधन सृजित करने के उपायों पर भी सुझाव देगा। इस परिपेक्ष्य में आयोग द्वारा नीति आयोग चेयर, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, के सहयोग से एक अध्ययन कराया जाना है। इसके क्रियान्वयन के लिये नीति आयोग चेयर, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं राज्य वित्त आयोग के मध्य एक एम.ओ.यू. (MoU) दिनांक 15 जुलाई 2016 को अपरान्ह 04:30 बजे कुलपति सचिवालय में सम्पादित किया जाएगा।

इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिये राशि रूपये 9.54 लाख व्यय होने का अनुमान है, जिसमें से आधा हिस्सा अर्थात् 4.77 लाख रूपये राज्य वित्त आयोग एवं शेष आधा हिस्सा नीति आयोग चेयर अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा।

इस अध्ययन के दौरान ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों का गहन अध्ययन कर उनके द्वारा दी जा रही चिन्हित सेवाओं का प्रमाप, मानदण्ड, सेवाओं के लिये आवश्यक धनराशि का आकलन तथा स्वयं के संसाधनों के सृजन के मार्गोपाय पर नीति आयोग चेयर सुझाव देगी। अध्ययन के दौरान बैठकें, सेमीनार, सम्मेलन, कार्यशाला एवं दौरे किये जाएंगें। यह अध्ययन शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मिलित प्रयास होगा। ये सुझाव आयोग को अपने प्रतिवेदन तैयार करते समय स्थानीय निकायों की आवश्यकता के आकलन में बहुपयोगी सिद्ध होंगें, ऐसी प्रत्याशा है।